भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3038
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित मामले

3038. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल :

श्री हनुमान बेनीवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में कितने मामले विगत दस वर्षों से लंबित हैं ;

(ख) क्या राजस्थान के लोग लंबित मामलों के कारण न्याय से वंचित रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में कितने न्यायाधीश कार्यरत हैं ;

(ङ) क्या सरकार का विचार पीड़ितों को न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालयों की संख्या बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में पिछले दस वर्षों से लंबित मामलों की संख्या **1,05,312 है** ।

(ख) और (ग) : लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटान न्यायपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, सरकार न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है । सरकार ने 2011 में न्याय प्रदान करने और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की, जिसका दोहरा उद्देश्य, प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके पहुंच बढ़ाना तथा संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाना एंव प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करना है। मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अनुसरित करना है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, अधीनस्थ न्यायपालिका की शक्ति में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालयीय प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

(घ) : पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या निम्नानुसार है:

राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कार्यरत संख्या	01.01.2020 तक	01.01.2021 तक	01.01.2022 तक	01.01.2023 तक	09.12.2024 तक
	21	23	27	26	32
राजस्थान के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की कार्यरत संख्या	1120	1292	1274	1256	1313

(ड.) और (च) : भारत के उच्चतम न्यायालय के मामले में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 में यह उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा, जिन्हें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करें। ग्यारहवें विधि आयोग ने 1988 में प्रस्तुत "उच्चतम न्यायालय - एक नया दृष्टिकोण" शीर्षक वाली अपनी 125वीं रिपोर्ट में, उच्चतम न्यायालय को दो भागों में विभाजित करने के लिए दसवें विधि आयोग द्वारा अपनी 95वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को दोहराया, अर्थात **(**i**)** दिल्ली में संवैधानिक न्यायालय और (ii) उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में बैठने वाला अपील न्यायालय या संघीय न्यायालय होगा । अठारहवें विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया था कि दिल्ली में एक संवैधानिक पीठ स्थापित की जाए और उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली, दक्षिणी क्षेत्र में चेन्नई/हैदराबाद, पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता और पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई में चार कैसेशन पीठ स्थापित की जाएं । यह मामला भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट किया गया, जिन्होंने सूचित किया कि मामले पर विचार करने के पश्चात्, 18 फरवरी, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में पूर्ण न्यायालय ने पाया कि दिल्ली के बाहर उच्चतम न्यायालय की पीठों की स्थापना का कोई औचित्य नहीं है। राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना पर रिट याचिका डब्ल्यूपी(सी) संख्या 36/2016 में, उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 13.07.2016 के निर्णय के माध्यम से उपर्युक्त मुद्दे को आधिकारिक घोषणा के लिए संवैधानिक पीठ को भेजना उचित समझा। **मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।**

उच्च न्यायालय के मामले में, जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और वर्ष 2000 की डब्ल्यूपी(सी) संख्या 379 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के अनुसार तथा राज्य सरकार के प्रस्ताव पर उचित विचार-विमर्श करने के पश्चात् पीठों की स्थापना की जाती है। वर्तमान में, किसी भी उच्च न्यायालय में पीठों की स्थापना के लिए केंद्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। मई 2014 से, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए उच्च न्यायालय का गठन किया गया है और जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक सर्किट पीठ की स्थापना की गई है।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में, अधिक न्यायालयों की स्थापना करना संबंधित उच्च न्यायालय तथा संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

****